



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129214

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20183/2026

सत्यम कुमार गौर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता:

त्रिपुरारी पाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 35/2026, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना-कोतवाली, जिला-गोरखपुर के अंतर्गत वाद की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. प्रारंभ में ही, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, जो पृष्ठ संख्या 23 से आगे संलग्न है, घटना 25.02.2026 को शाम लगभग 5:00 बजे घटी थी। आवेदक और शिकायतकर्ता का पुत्र, दोनों छात्र होने के नाते, अपनी परीक्षा देने के लिए वहां गए थे और उनके बीच कहासुनी हुई थी। उस समय घटनास्थल पर मौजूद अन्य छात्रों के बयान भी संबंधित जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए हैं, जो इस याचिका के साथ संलग्न हैं। उन्होंने

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे तर्क दिया कि आवेदक 27.02.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और वाद की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक **सत्यम कुमार गौर**, जो उपरोक्त मामले में अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, निचली

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता (संबंधित धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक वाद के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता (धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप) के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा: (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 351 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, निचली अदालत द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

25 जून, 2026

मनोज

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।